

अनुदान संख्या 17 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 17 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत-
		Total grant or appropriation	Actual expenditure	Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित -	Charged-			
मूल	Original	1,07,00		
			1,14,00	1,12,50 - 1,50
पूरक	Supplementary	7,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,08
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	56650,68,00		
			66607,36,00	66326,21,86 - 281,14,14
पूरक	Supplementary	9956,68,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			276,69,49
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	10973,06,00		
			20973,08,00	20931,05,95 - 42,02,05
पूरक	Supplementary	10000,02,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृति अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services			
मू.	O. 3014.00			
पू.	S. 1.00	3274.96	3214.29	- 60.67
पु.	R. 259.96			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O. 5656497.00			
पू.	S. 995666.00	6628102.08	6627723.70	- 378.38
पु.	R. - 24060.92			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O. 1055.00			
पु.	R. -1054.50	0.50	..	-0.50
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"			
सिविल पूर्ति	Civil Supplies			
मू.	O. 2862.00			
पु.	R. - 1247.43	1614.57	1610.83	- 3.74
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 1247.00			
पू.	S. 1.00	74.40	73.04	- 1.36
पु.	R. - 1173.60			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	391.00
पु.	R.	- 391.00

(I) ₹1560.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1446.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1560.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹1446.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(A) Major Head “2552”-

(क) “भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण” - ₹400.00 लाख;

(a) “Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage Godowns in NE Region by State Governments” - ₹400.00 lakhs;

(ख) “नागरिक पूर्ति - अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम” - ₹170.00 लाख; और

(b) “Civil Supplies - Other Expenditure - Scheme relating to strengthening Public Distribution System” - ₹170.00 lakhs; and

(ग) “नागरिक पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण” - ₹485.00 लाख ।

(c) “Civil Supplies - Other Grants - Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening of Public Distribution System” - ₹485.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” - केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण स्कीम का सुदृढ़ीकरण” - ₹391.00 लाख माननीय भारत के उच्चतम

(B) Major Head “3602” - “Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Other Grants - Evaluation, Monitoring and Research in Food Grain Management and Strengthening Public

न्यायालय के निदेशानुसार गठित कार्य बल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य सहायता” के अंतर्गत नवम्बर, 2010 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) “खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार को आर्थिक सहायता” - ₹1200000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹120000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़कर ₹1320000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार से कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹100000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) “आयातिक खाद्य तेलों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से वितरण के लिए आर्थिक सहायता” - ₹1179.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹58000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹59179.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, आयातिक खाद्य तेलों के लिए राज्यों द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ अपर्याप्त संविदाएं किए जाने और एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा यथानुमोदित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केवल 80% आर्थिक सहायता जारी किए जाने के कारण ₹7905.51 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2408” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “खाद्य” -

(क) “निदेशन और प्रशासन - चीनी निदेशालय” - ₹256.24 लाख की बचत (₹617.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

Distribution Scheme” - ₹391.00 lakhs - due to non-finalisation of proposal on computerization of Public Distribution System operations by a Task Force, set up as per the direction of Hon’ble Supreme Court of India and non-receipt of utilisation certificates from the Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained in November, 2010 under Major Head “2408” - “Food - Food Subsidies”- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Subsidy to State Government on decentralised procurement of food grains” - the original provision of ₹1200000.00 lakhs was augmented to ₹1320000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹120000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹100000.00 lakhs - due to receipt of less claims from Decentralized Procurement States, especially from Government of Uttar Pradesh.

(B) “Subsidy for imported Edible Oils for Distribution through States/UTs Governments”- the original provision of ₹1179.00 lakhs was augmented to ₹59179.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹58000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7905.51 lakhs - due to insufficient contracts for imported Edible Oils by States with Central Public Sector Undertakings and release of only 80% subsidy to Central Public Sector Undertakings as approved by Integrated Finance Division.

(III) Under Major Head “2408”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Food”-

(a) “Direction and Administration - Directorate of Sugar” - saving of ₹256.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹617.70 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of less bills.

- (ख) “खाद्य सहायता - टीपीडीएस के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी लागू करने संबंधी प्रायोगिक स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को आर्थिक सहायता”- ₹6425.50 लाख की बचत (₹6518.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हरियाणा और चंडीगढ़ से कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “अन्य व्यय” -
- (i) “चीनी का सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता”- ₹11200.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण दावे प्राप्त होने, चीनी मिलों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और ब्याज की दर कम होने की वजह से सुरक्षित भंडार की अनुमानित लागत में कमी होने के कारण हुई।
- (ii) “चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान”- ₹100.56 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्था से अपेक्षित/पूरे दस्तावेज प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।
- (iii) “निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा अन्य अनुमेय दावों की अदायगी”- ₹5318.62 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित चीनी मिलों से उचित दस्तावेजों और उपयुक्त उत्तरों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
- (ख) “भंडारण और भांडागार - अनुसंधान और मूल्यांकन” -
- (क) “भारतीय अनाज प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान”- ₹197.89 लाख की बचत (₹579.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, संशोधित
- (b) “Food Subsidies – Subsidy to State Governments and UTs Administration for implementation of a Pilot scheme on introduction of Smart Card based delivery of essential commodities under TPDS” - saving of ₹6425.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6518.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less proposals from Haryana and Chandigarh.
- (c) “Other Expenditure” -
- (i) “Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar”- saving of ₹11200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of deficient claims, non-receipt of utilisation certificates from the Sugar Mills and reduction in estimated cost of buffer stock owing to lower rate of interest.
- (ii) “Grants-in-aid for Development of Sugar Industry”- saving of ₹100.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to delay in receipt of the required/completed documents from the Grantee Institution.
- (iii) “Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payment of other permissible claims”- saving of ₹5318.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to non-receipt of proper documents and suitable replies from the concerned sugar mills.
- (B) “Storage and Warehousing - Research and Evaluation”-
- (a) “Indian Grain Management and Research Institute” - saving of ₹197.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹579.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts,

आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम और अधिशेष कर्मचारियों के पुनः परिनियोजन को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “गुणता नियंत्रण कक्ष” - ₹194.66 लाख की बचत (₹797.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अधिशेष कर्मचारियों का पुनः परिनियोजन अन्य कार्यालयों को किए जाने और चिकित्सा, कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्यों और मजदूरी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3456” - “अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम” के अंतर्गत ₹1250.17 लाख की बचत (₹2861.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण स्कीम का सुदृढ़ीकरण” के अंतर्गत ₹1174.96 लाख की बचत (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित (₹1248.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार गठित कार्यबल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹71.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 71 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹107304.73 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹397241.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

non-finalisation of Modified Assured Career Progression Scheme and redeployment of surplus staffs and economy measures.

(b) “Quality Control Cell” - saving of ₹194.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹797.80 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, redeployment of surplus staff to other offices and requirement of less funds towards medical, office expenses, minor works and wages.

(IV) Under Major Head “3456” – “Other Expenditure – Scheme relating to Strengthening Public Distribution System” – saving of ₹1250.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2861.00 lakhs); and

(V) Under Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Other Grants - Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening Public Distribution Scheme”- saving of ₹1174.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1248.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2011).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposal on computerisation of Public Distribution System operations by a Task Force, set up as per the direction of Hon’ble Supreme Court of India and non-receipt of utilisation certificates from the States Governments.

(VI) Under one head saving of ₹71.00 lakhs occurred constituting 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹107304.73 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹397241.00 lakhs in November, 2010 and March, 2011 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग” - ₹259.73 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹206.32 लाख था।

(A) Major Head “3451” - “Secretariat – Department of Food and Public Distribution” - ₹259.73 lakhs. Actual excess, however, was ₹206.32 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य सहायता” -

(B) Major Head “2408” - “Food - Food Subsidies” -

(क) “खाद्यान्नों के लेनदेन के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और अन्यो को देय आर्थिक सहायता” - ₹100000.00 लाख।

(a) “Subsidy payable to Food Corporation of India and others on Food grains transactions” - ₹100000.00 lakhs.

(ख) “लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण भारतीय खाद्य निगम और अन्यो को देय चीनी संबंधी आर्थिक सहायता” - ₹6645.00 लाख।

(b) “Sugar Subsidy payable to FCI and others on account of levy sugar, import of sugar etc.” - ₹6645.00 lakhs.

(ग) “एस यू(टीओएम), अधिनियम, 1978 के अधीन अधिसूचना से हटाए गए चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता” - ₹400.00 लाख।

(c) “Subsidy for sugar Mills denotified under SU (TOM), Act, 1978” - ₹400.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2408” - “भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - ₹471.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2408” - “Storage and Warehousing- Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE region by State Governments” - excess of ₹471.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4408"	Major Head "4408"				
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2686.00			
पू.	S.	1.00	3685.00	3682.09	- 2.91
पु.	R.	998.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00			
		
पु.	R.	-1000.00			
मुख्य शीर्ष "6860"	Major Head "6860"				
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	93620.00			
पू.	S.	1.00	93620.00	89423.86	- 4196.14
पु.	R.	- 1.00			

(I) ₹1000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India"- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत ₹1501.00 लाख की बचत (₹2501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संबंध में योजना आयोग की कार्यान्वयन प्रणाली की वजह से अन्य क्षेत्र में कार्य की

(II) Under Major Head "4408"- "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - saving of ₹1501.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs) was due to reduce the quantum of work in other region and to increase

मात्रा कम करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भंडारण कार्यकलापों में वृद्धि किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “6860” - “चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण” - ₹1488.68 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से कर्जों का संवितरण न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल या इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने” - ₹5199.64 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इथनाल के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और चीनी मिलों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के वजह से कर्ज संवितरित न किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4998.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष “4408” - “भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भंडारण गोदाम का निर्माण” - ₹2499.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष “6860” - “चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें” - ₹2499.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2491.18 लाख था।

5. चीनी विकास निधि:-

चीनी विकास निधि, 1982 (संक्षिप्त रूप में एसडीएफ अधिनियम) की स्थापना चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ गन्ना विकास तथा अनुदान उपलब्ध कराकर चीनी उद्योग के विकास को परिलक्षित करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर कर्जों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इस निधि का उपयोग

the storage activities in North Eastern Region owing to approach line of Planning Commission for the scheme.

(III) Under Major Head “6860”- “Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills”- saving of ₹1488.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to non-disbursement of loans owing to non-receipt of certain clarification from the sugar mills.

(B) “Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol”- saving of ₹5199.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to requirement of less funds for Ethanol and non-disbursement of loans owing to non-receipt of certain clarification from the sugar mills.

4. The above savings were partly (₹4998.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2010 and March, 2011 under the following major heads:-

(I) Major Head “4408” – “Storage and Warehousing – Other Expenditure – Construction of food storage godown in North Eastern region by FCI” – ₹2499.00 lakhs.

(II) Major Head “6860”- “Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar Mills for Cane Development” – ₹2499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2491.18 lakhs.

5. Sugar Development Fund:-

Sugar Development Fund, 1982 (briefly the SDF Act) was created for the purpose of rendering financial assistance through loans at concessional rates for rehabilitation and modernisation of sugar factories as well as for sugarcane development and for encouraging research aimed at development of

चीनी की कीमत में स्थायित्व रखने के लिए बफर स्टॉक को बनाने और उसके रख-रखाव के उद्देश्य पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

चीनी उपकर नियम, 1982 (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था) में चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकरण रिपोर्टों और विवरणियों के तरीके, लेखों का रख-रखाव आदि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उगाही गई और वसूली गई उत्पाद शुल्क की आय के बराबर की राशि, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली लागत द्वारा घटाई गई, चीनी विकास अधिनियम, 1982 के खंड 3 के अधीन स्थापित चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी।

वर्ष 2010-2011 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

अथशेष
प्राप्तियां
अदायगियां
अंतशेष

sugar industry by making grant. The fund shall also be applied for defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to establishing price of sugar.

The Sugar Cess Rules, 1982 (which were made under the Act) provide for the manner of accounting reports and returns to be furnished by sugar factories, maintenance of accounts etc. An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Act, reduced by the Cost of collection as determined by the Central Governments, shall be credited to the Sugar Development Fund formed under Section 3 of the Sugar Development Act, 1982.

The Account of the Fund for 2010-2011 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

Opening Balance	54,90,34
Receipt	1578,08,73
Payments	1467,86,64
Closing Balance	165,12,43